महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

ज्ञान शांति मैत्री

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

प्रो. चित्तरंजन मिश्र
Prof. Chittaranjan Mishra
कुलसचिव / Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661
फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांकः 005/2015/प्र.स./01/450

दिनांकः 15.07.2015

सूचना

माननीय कुलपति की अध्यक्षता में संकायाध्यक्षों की दिनांक 14.07.2015 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए -

1. रिक्त सीटों के लिए 16.07.2015 को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा विभाग/केंद्र के स्तर पर आयोजित होगी।
2. उक्त परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र का प्रारूप परीक्षा प्रभारी द्वारा विभागों/केंद्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. बी.ए.(ऑनर्स)/बी.कॉम.(ऑनर्स)/बी.एस.डब्ल्यू./वी.वोक./एम.ए./एम.कॉम./एम.बी.ए./सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा/एडवांस्ड डिप्लोमा के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया (लिखित एवं साक्षात्कार) के पश्चात ही प्रवेश दिया जाए।
4. सीटें रिक्त होने की स्थिति में 27.07.2015 को पुनः प्रवेश परीक्षा की व्यवस्था की जायेगी। एम.फिल. एवं पी-एच.डी. की रिक्त सीटों की संख्या के संबंध में निर्णय लिया गया कि सभी श्रेणियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार रिक्त सीटों के सापेक्ष उन अभ्यर्थियों को, जो पूर्व में निर्धारित साक्षात्कार में शामिल नहीं हो सके थे, उनका साक्षात्कार 27.07.2015 को कराया जा सकता है। इसके पश्चात प्रवेश संबंधी किसी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. वी.वोक के लिए 16.07.2015 को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा के पश्चात रिक्त सीटों के लिये आवेदन करने की तिथि 31 जुलाई, 2015 तक विशेष स्थिति में बढ़ाई जाए तथा इसकी प्रवेश परीक्षा 02 अगस्त, 2015 को रखी जाए।
6. एम. फिल. (सत्र 2014-15) के वे विद्यार्थी जिनका चयन विश्वविद्यालय के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम (सत्र 2015-16) के लिये हुआ है उन्हें पी-एच.डी. एवं एम. फिल. में से कोई एक पाठ्यक्रम चुनना होगा। एम. फिल. छोड़ने की स्थिति में एम. फिल. पाठ्यक्रम की अवधि में विश्वविविद्यालय द्वारा दी गई शोधवृत्ति का पी-एच.डी. की अवधि में समायोजन किया जायेगा।

15.7.15

(चित्तरंजन मिश्र)

प्रतिलिपिः *सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।*

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. कुलसचिव कार्यालय
4. वित्त विभाग
5. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)
6. विश्वविद्यालय के समस्त विद्यापीठ, विभाग एवं केंद
7. लीला प्रभारी को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
8. संबंधित फाइल